भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 45

सरकारी उद्यम विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	4.82	8.90	13.72	9.00	10.00	19.00	7.92	10.26	18.18	10.00	10.42	20.42
पूंजी	***...***	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**4.82**	**8.90**	**13.72**	**9.00**	**10.00**	**19.00**	**7.92**	**10.26**	**18.18**	**10.00**	**10.42**	**20.42**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.15	0.15
3451	0.40	8.24	8.64	0.40	9.13	9.53	0.40	9.08	9.48	...	10.27	10.27
जोड़	*0.40*	*8.24*	*8.64*	*0.40*	*9.13*	*9.53*	*0.40*	*9.08*	*9.48*	*...*	*10.42*	*10.42*
2. केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उपयुक्त कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन स्कीम 2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.20	...	0.20
2852	2.44	...	2.44	2.90	...	2.90	2.78	...	2.78	3.00	...	3.00
जोड़	*2.44*	*...*	*2.44*	*2.90*	*...*	*2.90*	*2.78*	*...*	*2.78*	*3.20*	*...*	*3.20*
3. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और राज्य स्तर के सरकारी उद्यमों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास और परामर्शी सेवाएं 2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.80	...	0.80
2852	0.96	...	0.96	3.58	...	3.58	2.81	...	2.81	6.00	...	6.00
जोड़	*0.96*	*...*	*0.96*	*3.58*	*...*	*3.58*	*2.81*	*...*	*2.81*	*6.80*	*...*	*6.80*
4. अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र को अंशदान 2852	...	0.72	0.72	...	0.87	0.87	...	1.18	1.18	...	...	...
5. राज्य स्तरीय लोक उद्यमों(एसएलपीईज) के कार्यपालकों के लिए कुशलता विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम 2852	1.02	...	1.02	1.22	...	1.22	1.14	...	1.14	...	...	...
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान 2552	...	...	...	0.90	...	0.90	0.79	...	0.79	...	...	...
7. वास्तविक वसूलियां 2852	...	-0.06	-0.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***4.82***	***8.90***	***13.72***	***9.00***	***10.00***	***19.00***	***7.92***	***10.26***	***18.18***	***10.00***	***10.42***	***20.42***

विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय												

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	...	...	...
2. लोहा और इस्पात उद्योग	12852	4.42	...	4.42	7.70	...	7.70	6.73	...	6.73	9.00	...	9.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	0.90	...	0.90	0.79	...	0.79	1.00	...	1.00
जोड़		**4.82**	**...**	**4.82**	**9.00**	**...**	**9.00**	**7.92**	**...**	**7.92**	**10.00**	**...**	**10.00**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इसके अंतर्गत इस विभाग के सचिवालय व्यय, सरकारी क्षेत्र के महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन हेतु अनुसंधान समिति के संबंध में निधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयरों और सॉफ्टवेयरों की अधिप्राप्ति के साथ-साथ सॉफ्टवेयर के विकास एवं रखरखाव तथा कार्यालय परिसर के आधुनिकीकरण सहित सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी निधि की व्यवस्था है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केंद्र की सदस्यता हेतु अंशदान भी शामिल है जिसका भारत संस्थापक सदस्य है।

2. **केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पृथक्कृत कर्मचारियों की काउंसिलिंग, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन:** केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों/वीआरएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों (या उनके आश्रितों) की काउंसिलिंग, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन हेतु नोडल एजेंसियों को सहायता अनुदान के रूप में निधि उपलब्ध कराई जाती है। निधि का उपयोग स्कीम की निगरानी और मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है।

3. **केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसईज़) और राज्य स्तरीय उपक्रमों (एसएलपीज़) से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श (आरडीसी):** निधि का उपयोग (i) सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं के आयोजन तथा समझौता ज्ञापन एवं उस पर वार्ता तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सहित केन्द्री य सरकारी उपक्रमों के जेनेरिक मुद्दों पर विषय वस्तुगत अध्ययन/परामर्श करने,(ii) कौशल विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य उपक्रमों के कार्यपालकों एवं कर्मचारियों तथा लोक उद्यम विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने,(iii) गैर सरकारी निदेशकों पर विशेष बल के साथ सीपीएसईज़ के बोर्डों में शामिल निदेशकों को विभिन्न कॉर्पोरेट अभिशासन मुद्दों पर प्रशिक्षण देने,(iv) अंतर्राष्ट्रीय सरकारी उपक्रम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) को अंशदान का भुगतान करने,(v) सीपीएसईज़/एसएलपीईज़ के वार्षिक सर्वेक्षण के प्रकाशन,(vi) समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्यकलापों की प्रशासनिक एवं संभार तंत्र व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यय, और (vii) आरडीसी स्कीम से जुड़े परामर्शदाताओं/प्रोग्रामरों आदि के भुगतान के लिए किया जाता है।